प्रेस विज्ञप्ति

24.07.2026

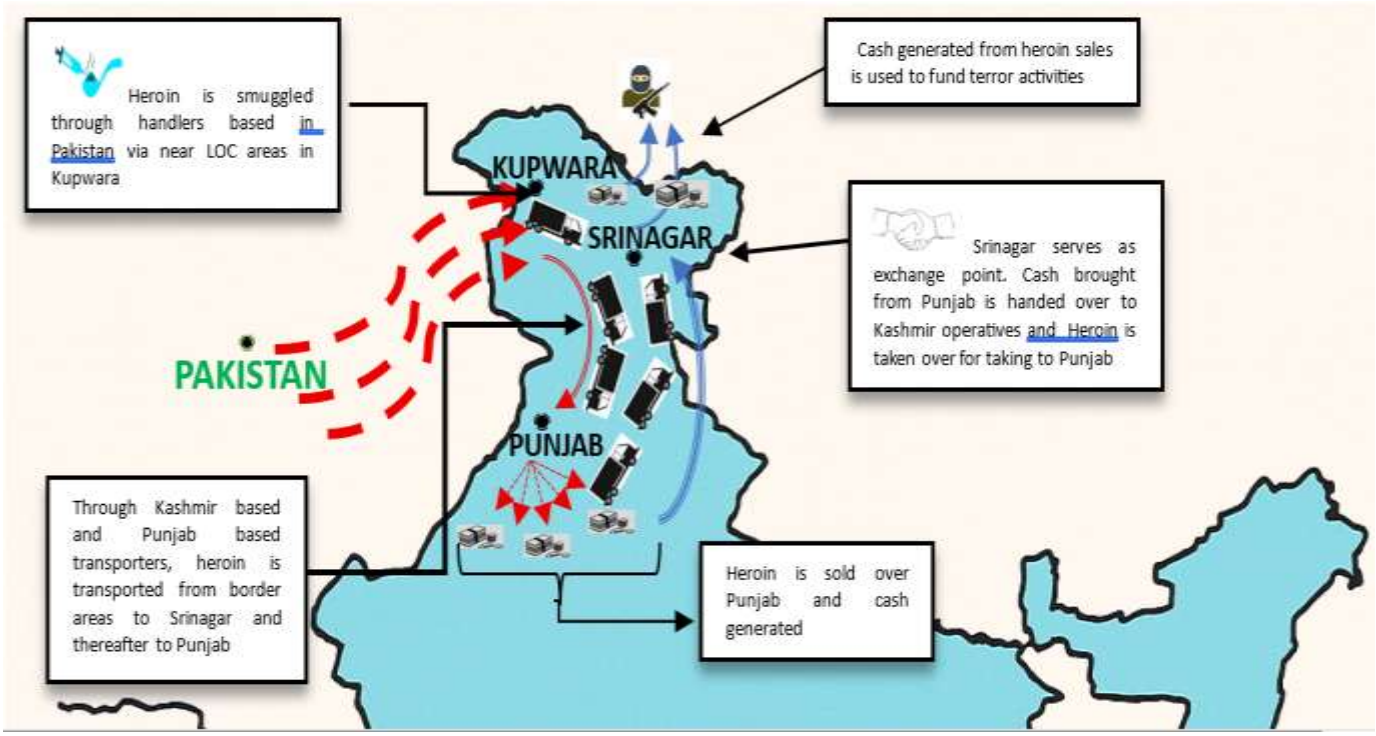
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू उप-आंचलिक कार्यालय ने जम्मू और कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज मामलों में नारको-टेरर फंडिंग से संबंधित चल रही धन शोधन जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 23.07.2026 को पंजाब और जम्मू और कश्मीर में [नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास] 09 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

जांच में पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच संचालित एक सुव्यवस्थित और बहु-स्तरीय नारको-टेरर फंडिंग नेटवर्क का पता चला, जिसमें पंजाब स्थित हैंडलर जैसे सतनाम सिंह और मंजीत सिंह @ मान, और कुपवाड़ा, कश्मीर (एलओसी के पास) स्थित संचालक जैसे सफीर अहमद और कफील अहमद शामिल थे। हेरोइन की खेप पाकिस्तान से पाकिस्तान स्थित हैंडलर के माध्यम से तस्करी करके लाई गई थी, जो आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे, जिन्होंने सफीर अहमद और कफील अहमद सहित कश्मीर स्थित आरोपियों के साथ अमरोही सीमा/एलओसी से सटे क्षेत्रों के माध्यम से हेरोइन की तस्करी के लिए समन्वय स्थापित किया था। एक मामले में, हेरोइन के 35 पैकेट बरामद किए गए, जिनमें से 05 पैकेट स्थानीय स्तर पर वितरित/रख लिए गए और 30 पैकेट को श्रीनगर ले जाने के लिए एक ट्रक के टायर में छिपा दिया गया था। खेप को श्रीनगर में पंजाब स्थित वाहक सरबजीत सिंह और हनी बसरा को पहुंचाया गया, जिन्हें बाद में सितंबर, 2023 में बनिहाल में लगभग 31 किलोग्राम हेरोइन के 30 पैकेट के साथ पकड़ा गया। सतनाम सिंह और मंजीत सिंह @ मान के नेतृत्व वाले पंजाब-साइड नेटवर्क ने हेरोइन के परिवहन और वितरण के लिए जाली दस्तावेजों, नकली वाहन कागजात, छिपे हुए गुहाओं, कई वाहनों और नकद लेनदेन का इस्तेमाल किया।

श्रीनगर/जम्मू-कश्मीर से पंजाब तक हेरोइन के परिवहन से संबंधित कई अन्य उदाहरण सतनाम सिंह और मंजीत सिंह @ मान पुत्र सतनाम सिंह के नेतृत्व वाले एक संगठित नेटवर्क के माध्यम से पाए गए, जिसमें वाहक और ट्रांसपोर्टरों को कश्मीर की ओर के कार्यकर्ताओं से हेरोइन की खेप, कुल मिलाकर 60 किलोग्राम से अधिक, इकट्ठा करने और उसे आगे बिक्री और वितरण के लिए पंजाब में पहुंचाने के लिए तैनात किया गया था। हेरोइन की बिक्री के माध्यम से उत्पन्न अपराध की आगम का उपयोग आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए किया गया था।

ईडी की जांच में मंजीत सिंह @ मान के खातों में उच्च मूल्य की नकद जमा और सरबजीत सिंह के खाते में नकद जमा सहित बैंकिंग लेनदेन का पता चला। नारको टेरर फंडिंग नेटवर्क के खिलाफ ईडी द्वारा की गई तलाशी, विशेष रूप से सीमा/एलओसी से सटे क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण है क्योंकि वे स्रोत-पक्ष की रसद और सीमा पार नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े स्थानीय सुविधाकर्ताओं को लक्षित करते हैं। तलाशी के दौरान, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कई अपराध-संकेती दस्तावेज, बैंक खाता रिकॉर्ड बरामद और जब्त किए गए। साथ ही, कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 49.9 लाख रुपये की राशि है।

आगे की जाँच जारी है.



तलाशी ली गई परिसरों की कुछ तस्वीरें



तहसील करनाह जिला कुपवाड़ा, जम्मू और कश्मीर में कफ़ील अहमद का घर



पंजाब के एस.बी.एस. नगर जिले में सतनाम सिंह और मनजीत सिंह का घर